



प्रेषक,

लाल बहादुर यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश,
कृषि भवन, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक

05 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-गु०नि०-109/548/पुनर्विनियोग/2025-26, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजनान्तर्गत मानक मद 01-वेतन, 02-मजदूरी, 03-महंगाई भत्ता, 17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व, 43-सामग्री एवं सम्पत्ति, 49-चिकित्सा व्यय, 55-मकान किराया भत्ता तथा 58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान में कुल धनराशि रु० 129.61 लाख (रूपये एक करोड़ उनतीस लाख इकसठ हजार मात्र) की संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9(भाग-1) पर वित्त विभाग द्वारा आवंटित आर.ई.संख्या-बजट-1-259, दिनांक 29.01.2026 में प्रदत्त सहमति के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्त / प्रतिबन्धों

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य कृषि निदेशक, उ०प्र० द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. योजनान्तर्गत जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. प्रस्ताव में आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ०प्र० का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार / केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।
5. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद / कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
6. जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्षक: 2401001050300 (उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें)**

अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1 011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	01 वेतन	34,27,000 (रुपये चौंतीस लाख सत्ताईस हजार मात्र)
2 011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	02 मजदूरी	2,90,000 (रुपये दो लाख नब्बे हजार मात्र)
3 011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	03 मंहगाई भत्ता	15,99,000 (रुपये पन्द्रह लाख निन्यानबे हजार मात्र)
4 011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	81,000 (रुपये इक्यासी हजार मात्र)
5 011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	43 सामग्री एवं सम्पूर्ति	18,37,500 (रुपये अठारह लाख सैंतीस हजार पाँच सौ मात्र)
6 011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	49 चिकित्सा व्यय	4,30,000 (रुपये चार लाख तीस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

7	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	55 मकान किराया भत्ता	6,49,500 (रुपये छह लाख उनचास हजार पाँच सौ मात्र)
8	011	2401001050300 उर्वरक एवं कीट नाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	46,47,000 (रुपये छियालीस लाख सैंतालीस हजार मात्र)
	कुल			1,29,61,000 (रुपये एक करोड़ उनतीस लाख इकसठ हजार मात्र)

महायोग	1,29,61,000 (रुपये एक करोड़ उनतीस लाख इकसठ हजार मात्र)
---------------	--

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

संख्या-3/2026/1555/003-12-5099-140-2025, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय-(सिविल/आडिट), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
लाल बहादुर यादव
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A012-20252026-12-5099-140-2025

नियम - वित्तीय वर्ष 2025-26 में उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजनामूलक पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति के संवध में।

निम्नलिखित विधियों से प्रस्तावित संकल्प

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकल्पित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकल्प हेतु अनुमोदित धनराशि	संकल्प के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2415010040300 (उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न गण नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाएं)	55 (सहायक किराया पत्र)	1.50.000 एक लाख पचास हजार मात्र	30,000 एक लाख बीस हजार मात्र	-30,000 एक लाख बीस हजार मात्र	30,000	120,000	2025-2026
011	2401000010300 (कृषि विभाग एवं सामान्य प्रशासन)	01 (बैतन)	50,87,14,000 एक लाख बीस हजार आठ सौ मात्र	1,08,48,800 एक लाख आठ हजार आठ सौ मात्र	-1,08,48,800 एक लाख बीस हजार आठ सौ मात्र	1,08,48,800	49,78,66,000	2025-2026
011	2415010040300 (उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न गण नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाएं)	03 (सहायक पत्र)	17,11,300 एक लाख बीस हजार मात्र	7,81,000 एक लाख बीस हजार मात्र	-7,81,000 एक लाख बीस हजार मात्र	7,81,000	93,00,000	2025-2026
011	2415010040300 (उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत विभिन्न गण नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाएं)	C1 (बैतन)	28,52,000 एक लाख बीस हजार मात्र	13,02,000 एक लाख बीस हजार मात्र	-13,02,000 एक लाख बीस हजार मात्र	13,02,000	15,50,000	2025-2026

निम्नलिखित विधियों से प्रस्तावित संकल्प

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संकल्प हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकल्प हेतु अनुमोदित धनराशि	संकल्प के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं)	01 (बैतन)	1,13,60,000 एक लाख बीस हजार मात्र	34,27,100 एक लाख बीस हजार मात्र	34,27,000	14,78,700	2025-2026
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं)	03 (सहायक पत्र)	68,16,000 एक लाख बीस हजार मात्र	15,99,500 एक लाख बीस हजार मात्र	15,99,000	84,15,000	2025-2026

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीटनाशी गुण निर्यंत्रण प्रयोगशालाएं)	17 (किलावा, उपभुक्त और अग्र-व्यापार)	5,10,000 एकरी बीघा खाद वम हजार मात्र	81,100 एकरी एकवर्गीय हजार मात्र बीघा मात्र	81000	591000	2025-2026
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीटनाशी गुण निर्यंत्रण प्रयोगशालाएं)	43 (सामग्री एवं संपूर्ण)	21,00,000 एकरी इन्डियन खाद मात्र	18,37,500 एकरी अंतराल खाद और बीघा हजार मात्र बीघा मात्र	1837500	3937500	2025-2026
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीटनाशी गुण निर्यंत्रण प्रयोगशालाएं)	58 (आउट लेविंग सेवाओं हेतु भूगत-म)	23,30,000 एकरी बीघा खाद बीघा हजार मात्र	46,47,000 एकरी डिवालीम खाद और बीघा हजार मात्र	4647000	6677000	2025-2026
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीटनाशी गुण निर्यंत्रण प्रयोगशालाएं)	02 (बजट-म)	3,00,000 एकरी बीघा खाद मात्र	2,90,000 एकरी बीघा खाद मात्र	290000	590,000	2025-2026
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीटनाशी गुण निर्यंत्रण प्रयोगशालाएं)	49 (विश्लेषण व्यय)	4,01,000 एकरी बीघा खाद मात्र हजार मात्र	4,30,100 एकरी बीघा खाद बीघा हजार मात्र और बीघा मात्र	4,30,000	831,000	2025-2026
011	2401001050300 (उर्वरक एवं कीटनाशी गुण निर्यंत्रण प्रयोगशालाएं)	55 (समान किराया भत्ता)	7,33,000 एकरी बीघा खाद बीघा हजार मात्र	6,49,500 एकरी खाद खाद और बीघा हजार मात्र और बीघा मात्र	649500	1382500	2025-2026

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें :-

1. स्लॉट-3 में उन्मिषित अनुदान के मापदंड स्लॉट-4 में अंकित बजट निम्नलिखित कारणों में है :-
अ. वास्तविक मांग के आधार पर बजट है।
2. स्लॉट-8 में उन्मिषित अनुदान के मापदंड स्लॉट-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों में है :-
ब. उर्वरक एवं कीटनाशी गुण निर्यंत्रण प्रयोगशालाओं में नवनिर्भुक्त वरिष्ठ प्राविधिक सहायकों (गुप-ए) की नियुक्ति के कारण बजट में अंतर है। प्रजद्वी तथा विश्लेषण प्रतिक्रिया में नवनिर्भुक्त व्यक्तियों के कारण अतिरिक्त की धनराशि की आवश्यकता है।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्वित्तियोग में उत्तर प्रदेश बजट में अनुदान के प्रसार सफाई-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का अनुमोदन नहीं होता है।

बजट-1-259

29 जनवरी 2026

संख्या: आर ई- 2025-26, दिनांक 29 जनवरी 2026

मेवा में,

महानिवाकर (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, कयामगंज।

Gurjan Dubey
(गुर्जन दुबे)
अनु सचिव।

(निर्देश कुंभार)
अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

29 जनवरी 2026
संख्या-A012-20252026-12-5099-140-2025, विनांक दिनांक 29/01/2026
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदार) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) प्रधान महालेखाकार (सिविल/आर्टिस्ट) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (4) वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
- (5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (6) वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (सी०एम०-9 तीन प्रतियाँ में)।
- (7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।
- (8) गार्ड फ़ाइल।

आज्ञा में,

Gurjan Dubey

(गुर्जन दुबे)
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।